यालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

–पत्र संख्या :–7/2020 दायर दिनांकः 09.07.2020

S NO:- 2020/00166

सीन अधिकारी :–श्योराम (आर.ए.एस.)

1. मंगल्या आ0 भूरया जाति बैरवा निवासी बटावती तहसील नैनवां जिला बून्दी।

–प्रार्थी–

बनाम

1. नर्बदा पुत्री भूरया जाति बैरवा निवासी बटावती पत्नी नाम नामालूम जाति बैरवा निवासी मालेडा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
2. रामसागर आ0 प्रहलाद जाति बैरवा निवासी बटावती तहसील नैनवां जिला बून्दी।
3. राजूलाल आ0 रामकरण जाति गूजर निवासी बटावती तहसील नैनवां जिला बून्दी।
4. आईसीआईसीआई शाखा सुमेरगंजमण्डी जर्ये शाखा प्रबन्धक, तहसील नैनवां जिला बून्दी।
5. आईसीआईसीआई शाखा देई जर्ये शाखा प्रबन्धक, देई तहसील नैनवां जिला बून्दी।
6. भूमिधारी राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब नैनवां जिला बून्दी।

–प्रत्यार्थीगण–

वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 251 एआर.टी एक्ट

उपस्थिति–

प्रार्थी एवं अप्रार्थी

निर्णय दिनांक 23.11.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम बटावती पटवार मण्डल बटावती तहसील
नैनवां में प्रार्थी के खातेदारी की भूमि खाता संख्या 210 की खसरा संख्या 84/22–19 कृषि भूमि स्थित
है। यह कि ग्राम बटावती पटवार मण्डल बटावती तहसील नैनवां में भूमि सिवायचक खाता संख्या 1 की
खसरा संख्या 83/06–04 भूमि स्थित है जिस पर अप्रार्थी संख्या 3 ने कब्जा कर रखा है। ग्राम बटावती
पटवार मण्डल बटावती तहसील नैनवां में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के संयुक्त खातेदारी की भूमि
खाता संख्या 119 की खसरा संख्या 86/13–00 कृषि भूमि स्थित है। यह कि खसरा संख्या 84 में जाने
का एक रास्ता बटावती से बालापुरा जाने वाली ग्रेवल सडक के दक्षिणी ओर स्थित खसरा संख्या 83 में
होता हुआ खसरा संख्या 86 की पश्चिमी मेड के सहारे सहारे प्रार्थी के खाते की भूमि तक पहुंचता है।
जिसे नक्शा परिशिष्ट अ में लाल स्याही से दर्शाया है। यह कि रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में अंकन नहीं होने
के कारण कोई भी बलपूर्वक रास्ता अवरूद्व करने पर आमदा हो जाता है। यह कि उक्त रास्ते के अलावा
प्रार्थी के खाते की जमीन पर आने जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है। इसलिए प्रार्थी को अपने खाते की
भूमि पर आने जाने व कृषि उपज लाने ले जाने के लिऐ रास्ता दिलाया जाना आवश्यक है। जिसकी राशि
प्रार्थी नियमानुसार जमा करवाने को तैयार है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में परिशिष्ट अ,नकल
जमाबंदी, नकल नक्शा ट्रेस तथा शपथ–पत्र आदि पेश किये।

रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में तहसीलदार [illegible] की गई। जिसके अनुसार प्रार्थी
की भूमि तक पहुँचने के लिए प्रस्तावित रास्ता के अतिरिक्त कोई [illegible] वैकल्पिक सीधा एवं सुगम रास्ता
का नहीं है। अतः खसरा संख्या 84 तक प[illegible] 83 रकबा 1.0032 है0 में से
रकबा 32 • 2 गठ्ठा = 64 वर्ग गठ्ठा भूमि, [illegible] रकबा 2.1034 है0 में से रकबा 74 • 2

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:39:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Scanned with CamScanner

148 वर्ग गठ्ठा भूमि दिया जाना उचित होगा। यह कि प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस में लाल लाइन से दर्शाया गया है।

हमने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत रिकॉर्ड दस्तावेज एवं रास्ता रिपोर्ट तहसीलदार नैनवां का अवलोकन किया। पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान केम्प कोर्ट कैथूदा में पेश हुई। उपस्थित अहलकारान की प्रार्थना पत्र में बहस सुनी गयी। प्रार्थी को रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तहसीलदार नैनवां ने भी अपने जवाब/रिपोर्ट में प्रार्थी को प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस के अनुसार रास्ता दिया जाना उचित बताया है। ग्राम ग्राम बटावती पटवार मण्डल बटावती तहसील नैनवां में प्रार्थी के खातेदारी की भूमि खाता संख्या 210 की खसरा संख्या 84/22–19 कृषि भूमि पर पहुंचने के लिए खसरा संख्या 84 तक पहुँचने के लिए भूमि खसरा संख्या 83 रकबा 1.0032 है0 में से रकबा 32 • 2 गठ्ठा = 64 वर्ग गठ्ठा भूमि, खसरा संख्या 86 रकबा 2.1034 है0 में से रकबा 74 • 2 गठ्ठा = 148 वर्ग गठ्ठा भूमि, जिसे प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस परिशिष्ट "क" में लाल डोटेड लाइन से अंकित किया गया है, के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। जितनी भूमि रास्ते के उपयोग में आयेगी उतनी भूमि की कीमत का नियमानुसार प्रतिकर राजकोष में जमा होने के उपरान्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किया जावे। नक्शा परिशिष्ठ को परिशिष्ठ 'क' नाम दिया गया है जो न्यायालय निर्णय का अभिन्न अंग होगा। तहसीलदार नैनवां को आदेशित किया जाता है कि मौके पर रास्ता बहाल कर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शे में दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 23.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:39:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner